



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA



संदर्भ : एएआई/पीबी/वाणिज्यिक/आईबीएस/2024-25/199

दिनांक : 21.01.2025

सेवा मे/ To,

स्पीड पोस्ट/ ईमेल
Speed- Post/Email

मेसर्स क्रेस्ट डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड/ M/s Crest Digital Pvt Ltd.,
निगम कार्यालय:- प्लॉट 278, ए / Corp Office:- Plot 278, A,
स्क्वायर बिल्डिंग, उद्योग विहार / Square Building, Udyog Vihar,
Ph-II, गुरुग्राम- 122002 / Ph-II, Gurugram- 122002,
हरयाणा / Haryana

विषय : श्री विजया पुरम हवाई अड्डे पर अनुकूलित साझा इन-बिल्डिंग समाधान प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना/प्रावधान के लिए लाइसेंस का पुरस्कार।

Sub: Award of License for Installation/Provision of Infrastructure to Provide Customized Shared In-Building Solutions at VSI Airport, Sri Vijaya Puram.

प्रिय महोदय/Dear Sir,

हमें आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सक्षम प्राधिकारी ने इस ई-बोली संख्या 2024_AAI_217851_1, दिनांक 05.12.2024 के जवाब में "श्री विजया पुरम हवाई अड्डे पर अनुकूलित साझा इन-बिल्डिंग समाधान प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना/प्रावधान के लिए लाइसेंस का पुरस्कार" आपकी बोली स्वीकार कर ली है।

We are pleased to inform you that Competent Authority has accepted your bid for "License for Installation/Provision of Infrastructure to Provide Customized Shared In- Building Solutions at VSI Airport, Sri Vijaya Puram, in response to this E-bid No. 2024_AAI_217851_1 dated 05.12.2024

क्रेस्ट डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड को 07 साल की अवधि के लिए (3 साल की अवधि के लिए विस्तार योग्य) शुरुआती सात वर्षों के दौरान संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर (सेवा, आचरण और बकाया राशि/विलंबित ब्याज के भुगतान के संदर्भ में) लाइसेंस निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अनुसार दिया जाता है।

The licence is hereby accorded to M/s Crest Digital Pvt Ltd. for a period of 07 Years (extendable by further Period of 3 years) subject to satisfactory performance (in terms of service, conduct and payment of dues/delayed interest) during the initial seven years period as per the following terms & conditions:

1. बिजनेस इनक्यूबेशन अवधि आवंटन पत्र जारी होने की तारीख से 30 दिन है। बोलीदाता आवंटन पत्र की सभी औपचारिकताओं/शर्तों को पूरा करने के लिए बाध्य होगा।

Business Incubation Period is 30 days from the date of issuance of award letter. Bidder will be under obligation to complete all the formalities/conditions of award letter.

2. 120 दिनों की गर्भाधान अवधि लागू है, जिसकी गणना बिजनेस इनक्यूबेशन अवधि की समाप्ति की तारीख से की जाएगी, यानी पुरस्कार पत्र जारी होने के 31वें दिन से और पुरस्कार पत्र जारी होने की तारीख से 150वें दिन समाप्त होगी।

Gestation period of 120 days is applicable, which will be reckoned from the date of expiry of Business Incubation Period i.e. from the 31st day of issue of award letter and expiring on the 150th day from the date of issue of award letter.

लाइसेंस 7 वर्ष की अवधि (3 साल की अवधि के लिए विस्तार योग्य) के लिए वैध होगा। वाणिज्यिक बिलिंग व्यवसाय शुरू होने या निर्माण अवधि की समाप्ति पर, जो भी पहले हो, शुरू होगी।

The licence will be valid for a period of 7 Years (extendable by further Period of 3 years). Commercial billing will start on commencement of business or expiry of gestation period, whichever is earlier.

3. लाइसेंस शुल्क का विवरण इस प्रकार होगा:

The details of the licence fee will be as follows:

Name of the Licence and Area	Monthly Licence Fee	GST @ 18%	Monthly Payable Amount
(1)	(2)	(3)	(4)
License for Installation/Provision of Infrastructure to Provide Customized Shared In-Building Solutions at NITB, VSI Airport.	Rs. 2,25,101/- Per Month.	Rs. 40,518/- (On applicable Monthly License Fee)	Rs. 2,65,620/- (Rupees Two Lakh Sixty-Five Thousand Six Hundred Twenty Only)

4. मौजूदा दरों पर जीएसटी और अन्य सभी लागू कर/लेवी/शुल्क लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त लाइसेंसधारी द्वारा देय हैं।

GST and all other applicable taxes/ levies / fees at the prevailing rates are payable by the licensee in addition to the licence fee.

5. लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त स्थान किराये पर 10% की दर से उपयोगिता शुल्क देय होगा। स्थान किराये के 7.5% की दर से या एएआई, सीएचक्यू द्वारा निर्धारित दरों पर चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि हर साल 1 अप्रैल को लागू होगी या एएआई द्वारा समय-समय पर संशोधित की जाएगी।

Utility charge @ 10% on space rent shall be payable in addition to licence fee by the licensee. Compound annual escalation @ 7.5% of space rent or at the rates prescribed by AAI, CHQ will be applicable on 1st April every year or revised by AAI from time to time.

6. लाइसेंसधारी वास्तविक उपयोग के अनुसार बिजली की खपत और पानी के शुल्क का भुगतान करेगा।

The licensee shall pay the charges for the consumption of the electricity and water charges as per actual usage.

7. लाइसेंस शुल्क 10% की वार्षिक वृद्धि के अधीन होगा। पहली वार्षिक वृद्धि लाइसेंस अवधि के एक वर्ष पूरा होने के बाद लागू होगी।

The License Fees shall be subject to **annual escalation of 10%**. The first annual escalation will be applicable after completion of one year of the license period.

8. प्राधिकरण चालू माह के सभी बिल (एमएमजी/एमएजी और वार्षिक भूमि पट्टा बिलों को छोड़कर किसी भी अन्य बिल सहित) बिजली, पानी आदि जैसे व्यय बिलों की सत्यता और प्रतिपूर्ति को छोड़कर, महीने के पहले दिन अग्रिम रूप से जारी करेगा। पूरे महीने के लिए बिजली, पानी शुल्क आदि जैसे व्यय की प्रतिपूर्ति अगले महीने की 5 तारीख को की जाएगी। 15 दिनों की क्रेडिट अवधि (चालान की तारीख प्लस 15 दिन) प्रदान की जाएगी, जो प्राधिकरण द्वारा निर्णय लेने पर कटौती के अधीन है। जिन मामलों में रियायतग्राही/एजेंसियों ने देय तिथि के

बाद लेकिन 90 दिनों (तारीख) के भीतर चालान का निपटान किया है, प्राधिकरण नियत तारीख (यानी चालान की तारीख प्लस 15 दिन) से प्राधिकरण के खाते में प्राप्त भुगतान की वास्तविक तारीख तक 12% प्रति वर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज लगाएगा। चालान का प्लस 90 दिन) और रियायतग्राही/एजेंसियों के मामले में प्राधिकरण के खाते में प्राप्त भुगतान की वास्तविक तिथि तक देय तिथि से 18% प्रति वर्ष की दर से 90 दिनों के बाद चालान का निपटान किया जाता है। एजेंसी द्वारा किए गए आंशिक भुगतान के मामले में, चालान की शेष राशि पर लागू ब्याज दर के समान शुल्क लिया जाएगा। प्राधिकरण के अन्य अधिकारों और उपायों के लिए। एल/एफ के भुगतान के लिए चालान/बिल की प्रतीक्षा करना अनिवार्य नहीं है।

The Authority shall raise all bills (including MMG/MAG and any other bills except annual land lease bills) for the current month on 1 st day of month in advance except true-up and reimbursement of expenditure bills like electricity, water etc. The Invoices for reimbursement of expenditure like electricity, water charges etc. for the completed month shall be raised on 5th of succeeding month. A credit period of 15 days (date of invoice plus 15 days) shall be provided, which is subject to reduction as and when decided by Authority. Authority shall levy penal interest @12% per annum from the due date (i.e. date of invoice plus 15days) till the actual date of payment received in authority's account in the cases concessionaire/ agencies settled the invoice after due date but within 90 days (date of invoice plus 90 days) and @18% per annum from the due date till the actual date of payment received in Authority's account in the case of concessionaire/ agencies settled the invoices after 90 days. In case of part payment made by agency, same rate of interest on the balance amount of invoices as applicable shall be charged. to the Authority's other rights and remedies. For payment of L/F, waiting for invoice/bills is not mandatory.

9. लाइसेंसधारी द्वारा आवंटन पत्र के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अग्रिम लाइसेंस शुल्क अर्थात् रु. 2,65,620/- (रुपए दो लाख पैंसठ हजार छह सौ बीस मात्र) लागू जीएसटी सहित मौजूदा दरों पर का भुगतान करना होगा।

Payment of advance licence fee i.e. Rs. 2,65,620/- (Rupees Two Lakh Sixty-Five Thousand Six Hundred Twenty Only) inclusive of applicable GST at the prevailing rates is payable by the licensee within 30 days from the date of issue of this award letter.

10. लाइसेंसधारी से आठ महीने की लाइसेंस फीस के बराबर सुरक्षा जमा राशि यानी रु. 21,24,960/- (मात्र इक्कीस लाख चौबीस हजार नौ सौ साठ रुपये) [अर्थात् रु. 2,65,620/- x 8 महीने] आवंटन पत्र की तारीख से 30 दिनों के भीतर जमा करने का अनुरोध किया जाता है। राशि केवल भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पक्ष में पोर्ट ब्लेयर में देय राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक के भुगतान आदेश/आरटीजीएस/एनईएफटी/बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार की जाएगी। सहकारी बैंक या ग्रामीण बैंक से बैंक गारंटी स्वीकार नहीं की जाएगी। बैंक गारंटी अनुबंध की अवधि के दौरान और उसके बाद 12 महीने तक वैध रहेगी। सुरक्षा जमा पर कोई ब्याज देय नहीं है। बैंक गारंटी एसएफएमएस सिस्टम सत्यापन योग्य होगी।

The licensee is requested to deposit an amount equal to Eight months licence fees, i.e. Rs. 21,24,960/- (Rupees Twenty-One Lakh Twenty-Four Thousand Nine Hundred Sixty Only) [i.e. Rs. 2,65,620/- x 8 months] within 30 days from the date of award letter. The security deposit will be accepted only in the form of RTGS/NEFT/Bank Guarantee of a nationalized/scheduled bank in favour of Airports Authority of India, payable at Sri Vijaya Puram. Bank Guarantee from Cooperative Bank or Gramin Bank will not

be accepted. The Bank Guarantee shall be valid during the currency of contract and 12 months thereafter. No interest is payable on Security Deposit. Bank Guarantee shall be SFMS system verifiable as per attached format.

11. लाइसेंसधारी द्वारा आवंटन पत्र की तारीख से 30 दिनों के भीतर बिजली/पानी आदि के लिए आवश्यक सुरक्षा जमा राशि 1,59,372/- रुपये (एक लाख उनसठ हजार तीन सौ बहतर रुपये मात्र) के रूप में देय है।
The Security Deposit for Electricity is **Rs.1,59,372/- (Rupees One Lakh Fifty-Nine Thousand Three Hundred Seventy-Two Only)** as Security Deposit required for Electricity / Water etc within 30 days from the date of award letter.
12. लाइसेंसधारी से अनुरोध है कि वह इस आवंटन पत्र के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर इस कार्यालय में साइट कब्जा रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इस आवंटन पत्र के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर एआई और पार्टी द्वारा संयुक्त माप किया जाएगा। संयुक्त माप समझौते का एक हिस्सा बनेगा।
The licensee is requested to submit site take over report at this office within 30 days from the date of issuance of this award letter. The joint measurement would be carried out by AAI and the party within 30 days from the date of issue of this award letter. The joint measurement would form a part of the agreement.
13. इस आवंटन पत्र के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर लाइसेंसधारी से रुपये 100/- गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर (अंडमान एवं निकोबार (यू.टी.)) पर लाइसेंस समझौते के निष्पादन के लिए अनुरोध किया जाता है। स्टाम्प पेपर की लागत जो लाइसेंसधारी द्वारा वहन की जाएगी।
The licensee is requested for execution of Licence Agreement on Rs. 100/- non-judicial stamp paper of Andaman & Nicobar (U.T.) only within 30 days from the date of issue of this award letter. The cost of stamp paper which will be borne by the licensee.
14. लाइसेंसधारी द्वारा लागू शुल्क के भुगतान पर बीसीएस के दिशानिर्देशों के अनुसार हवाईअड्डा प्रवेश पास जारी किए जाएंगे।
Airport Entry Passes will be issued as per guidelines of BCAS on payment of applicable charges by the licensee.
15. लाइसेंसधारी अपने खर्च पर फायर अलार्म सिस्टम सहित सभी इलेक्ट्रिक फिटिंग, इंस्टॉलेशन और ऐसे अन्य इलेक्ट्रिक उपकरणों का रखरखाव करेगा जो उक्त परिसर में प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं या इसके बाद उक्त परिसर में उक्त प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं।
The Licensee shall maintain at his own cost all the electric fittings, installations and such other electric equipment's including Fire Alarm System as may be provided by the Authority in the said premises or as may hereafter be provided by the said Authority in the said premises.
16. लाइसेंसधारी उस परिसर का उपयोग उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करेगा जिसके लिए लाइसेंस दिया गया है। लाइसेंसधारी प्राधिकरण से लिखित पूर्व अनुमति के बिना उक्त परिसर में किसी अन्य प्रकार का विज्ञापन या साइनबोर्ड नहीं लगाएगा या प्रदर्शित नहीं करेगा।
The Licensee shall not use the premises for any purpose other than that for which the licence has been granted. The Licensee shall not erect or display any other type of advertisement or signboards upon the said premises without prior permission in writing from the Authority.

17. यह आवंटन पत्र लाइसेंस समझौते का एक अभिन्न अंग होगा जो दोनों पक्षों, यानी लाइसेंसधारी और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को बाध्य करेगा।
This award letter will be an integral part of licence agreement binding both the parties, i.e. the licensee and Airports Authority of India.
18. अन्य सभी नियम एवं शर्तें एनआईटी के अनुसार होंगी।
All other terms & conditions will be as per NIT.
19. यह आवंटन पत्र एक समझौते का हिस्सा होगा जिसे लाइसेंसधारी द्वारा इस आवंटन पत्र के जारी होने की तारीख से 07 दिनों के भीतर स्वीकृति के रूप में हस्ताक्षर करके प्रस्तुत किया जाना है।
This award letter will be a part & parcel of agreement to be submitted by the licensee by signing as acceptance within 07 days from the date of issue of this award letter

Thanking you,

सादर/With regards,

(Signature)
21.01.2025

चंद्र प्रकाश रंजन /Chandra Prakash Ranjan
सहायक प्रबंधक(वाणिज्य)/AM (Commercial)
कृते विमानपत्तन निदेशक/for Airport Director

प्रतिलिपि:

सं.म.प्र.(वाणिज्य), (पू.क्षे.)

Copy to:

Jt.GM (Comml.), ER

आंतरिक प्रतिलिपि:

एपीडी/ सभी विभागाध्यक्ष

Internal Copy to:

APD/ All HoDs

Signature Not Verified